

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहान  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) बापंगर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुपेन्द्र कुमार माडक

उनवान

बनाम सुतराराम कीर्तन नवलराम कोर

दावा बाबत 88 R/A Act

मुकदमा नम्बर :- 169/18 A

निर्णय दिनांक :- 29.6.18

वादी की ओर से सुतराराम कीर्तन प्रतिवादी की ओर से नवलराम कोर

उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/6/18 (नाम पीठासीन अधिकारी).....

उपखण्ड अधिकारी, चौहान के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादिजग का वाद आपसी सहमति से स्वीकार कर मौजा भाडूओ का तला, तहसील चौहान के खसरा सं. 131/96, 141/96, 144/103 रकबा कुमबा: 26.07, 24.12, 10.15 बीघा, कुल रकबा 61.14 बीघा अर्थात् वादिजग सं. 1 से 4 व प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रत्येक का 1/24 - 1/24 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसील चौहान को आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुपेन्द्र कुमार माडक)

सहायक पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर.....